मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

विनोद कुमार आदि बनाम मरवा बाई उर्फ पुजा

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 381/2021

निर्णय दिनांक :– 17-12-2021

वादी की ओर से वकील नरेन्द्र शर्मा की व प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील रामभुति टाकर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा आकड़ी के खाता सं. 305/383 के खसरा सं. 318 की 10.57 है. बारानी खातेदारी की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 मरवाबाई उर्फ पुजा का 1/5 हिस्सा, लीलाधर उर्फ राकेश पुत्र ईश्वराम का 1/5 हिस्सा, सतवीर पुत्र ईश्वराम का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित वादभूमि में से मरवाबाई उर्फ पुजा, सतवीर व लीलाधर उर्फ राकेश का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं. 1 विनोद कुमार व वादी सं. 2 सन्तोष देवी उर्फ शांति पत्नी ईश्वराम का 1/5 हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पेजायन विभाग को देय पेजायन मुल्क अदा करने व यदि किसी बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। सभी नामा की डिक्री का मांग पत्र जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(शिविर मुख्यालय)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र.गा. के संग अ.-2021
शकुन्तला

Scanned with CamScanner